शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-958/29-7-2025(1491642)

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी ,
उत्तर प्रदेश I

खाद्य तथा रसद अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 18-12-2025

विषयः- पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापित किये जाने हेतु दिए जाने वाले ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-27/29-7-2023, दिनांक 30-01-2023 के क्रम में आयुक्त ,खाद्य एवं रसद ,उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या -5044/आ०पू०रा०-पेट्रोल /डीजल पम्प/2024 , दिनांक -04-11-2025 द्वारा प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले पेट्रोल/डीजल पम्प को ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-27/29-7-2023, दिनांक 30-01-2023 द्वारा प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले पेट्रोल/डीजल रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन निर्गत किये जाने से पूर्व कतिपय विभागों यथा – अग्निशमन, नगर निकाय, वन, प्रदूषण, लोक निर्माण विभाग /राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राज्य राजमार्ग, उप जिलाधिकारी (खसरा सम्बन्धी सत्यापन), विकास प्राधिकरण /विनियमित क्षेत्र ,विद्युत् सुरक्षा तथा पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने सहित लाइसेंस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था प्राविधानित की गयी है :-

(i) खाद्य एवं रसद विभाग के विभागीय पोर्टल को निवेश मित्र पोर्टल के साथ इण्टीग्रेट किया जाए I

(ii) विभिन्न विभागों के पेट्रोल/डीजल रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की व्यवस्था निवेश मित्र पोर्टल से इण्टीग्रेट किया जाए।

(iii) आवेदक (आयल कम्पनी) द्वारा निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा , जिसके साथ Letter of Intent तथा Layout Plan अपलोड किया जाना होगा I

(iv) निवेश मित्र पोर्टल से इण्टीग्रेटेड खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर भरे गए डिटेल्स को ए०पी०आई० के माध्यम से ऑटोमैटिक सम्बंधित विभागों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु सबमिट किया जाएगा तथा यथासम्भव 15 दिवस के अंदर विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए, निवेश मित्र पोर्टल पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध कराया जाए ।

(v) आवेदक (ऑयल कम्पनी) को विभिन्न विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने अथवा Fetch from Nivesh Mitra Portal का विकल्प उपलब्ध रहेगा, जहां से आवेदक द्वारा समस्त विभागों की अनापत्ति प्रमात्र पत्र को अपलोड/निवेश मित्र पोर्टल से Fetch कर आवेदन अंतिम तौर पर सुरक्षित किया जाएगा। तदोपरांत अग्रेत्तर प्रक्रिया हेतु आवेदन खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा ।

(vi) समस्त विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा आवेदक (ऑयल कम्पनी) को यथासम्भव 07 दिवस के अन्दर ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए ।

3- भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा प्रेषित जनपद स्तरीय बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान से सम्बन्धित संस्तुतियों एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मूल भावना के दृष्टिगत प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले पेट्रोल/डीजल पम्प को ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस निर्गत किये जाने हेतु उक्त शासनादेश के क्रम में निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) जिलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने से पूर्व अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण

पत्र प्राप्त किया जाता है, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है । अतः जिलाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग/विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए,जो निम्नवत है :-

क्रम सं०	अनापत्ति प्रमाण पत्र के विषय	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारीकर्ता विभाग	टिप्पणी
01	(क) पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण के लिए इन नियमों के अधीन परिसर का विकास करने के लिए भू-स्वामी या पट्टेदार से प्राधिकार सहित आवेदक द्वारा स्थल पर विधिमान्य कब्जा I	राजस्व विभाग	--
	(ख) स्थानीय या क्षेत्र विकास योजना के अनुरूप प्रस्ताव I	सम्बंधित विकास प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र प्राधिकारी	विकास प्राधिकरण क्षेत्र / विनियमित क्षेत्र होने की स्थिति में I
02	(क)लोक, विशेष रूप से ऑफ साइट जैसी सुविधाओं, विद्यालयों, अस्पतालों या सार्वजनिक सभा के आसपास स्थित स्थलों और उपशमन उपाद, यदि कोई हो, प्रदान किए गए हैI	राजस्व विभाग	--
	(ख) विद्युत हाईटेंशन लाइन के सम्बन्ध में	विद्युत विभाग	--
03	आपातकालीन मामलों में आग लगने पर स्थल तक पहुंच और आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाओं की तैयारी	राजस्व विभाग	अग्निशमन विभाग के समन्वय से
04	यातायात घनत्व और यातायात पर प्रभाव	लोक निर्माण विभाग	--
05	लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राज्य राजमार्ग /यूपीडा/एक्सप्रेस-वे की सड़क पर स्थित रिटेल आउटलेट	सम्बंधित मार्ग के प्रबंधक / सक्षम प्राधिकारी	--
06	सार्वजनिक सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य कोई मामला	पुलिस आयुक्त / पुलिस अधीक्षक	आवेदक के बारे में लोक सुरक्षा से सम्बंधित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर आख्या प्राप्त की जा सकती है I

(2) उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-27/29-7-2023, दिनांक 30-01-2023 में वर्णित शेष विभागों से आवेदक द्वारा निम्नवत स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए :-

(i) आवेदक द्वारा जिला पंचायत के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 (यथासंशोधित-1994) की धारा 239 (2) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पक्के भवनों, व्यावसायिक भवनों के निर्माण को नियंत्रित करने सम्बन्धी समय-समय पर यथासंशोधित लागू उपविधि के अनुसार आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(ii) आवेदक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 एवं Hazardous Waste (Management and Handling and Transboundry Movement) Rule-2008 यथासंशोधित, Manufacture Storage and Import of Hazardous Chemical Rule-1989, Public Liability insurance Act-1991

तथा Environment (Protection) Act-1986 से सम्बन्धित प्राविधानों (समय-समय पर यथासंशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में स्वाहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए ।

(iii) आवेदक द्वारा पुलिस विभाग से सम्बन्धित अभिलेखों में आवेदक के विरुद्ध आपराधिक प्रविष्टि का अंकन न होने, सुरक्षा के दृष्टिगत पेट्रोल पम्प पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने तथा समय-समय पर यथासंशोधित प्राविधानों के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए ।

(iv) आवेदक द्वारा वन विभाग से सम्बन्धित वन अधिकार अधिनियम-2006 (FRA), वन संरक्षण अधिनियम-1986,वन संरक्षण अधिनियम-1980तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल के न होने तथा समय-समय पर यथासंशोधित प्राविधानों के सम्बन्ध में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए ।

(3) इस सम्बन्ध में संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक,पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन,भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.12.2020 द्वारा पेट्रोलियम नियम-2002 तथा संशोधित नियम-2018 के नियम-144 के अन्तर्गत सेट अप होने वाले रिटेल आउटलेट को निर्धारित निम्नवत प्रारूप पर NOC निर्गत की जाए ।

प्रारूप
अनापत्ति प्रमाण पत्र
(नियम-144 देखें)

सं.....
तारीख.....
.....द्वारा प्रस्तुत तारीख.....के आवेदन सं.....के सन्दर्भ में और पेट्रोलियम नियम-2002 के नियम-144 के अनुसरण में पेट्रोलियम नियम-2002 के अधीन श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पता .....को उनके परिसर में सर्वेक्षण सं..... /गेट नं...../प्लाट नं.....,ग्राम ..... तालुका / तहसील-..... जिला..... राज्य..... जैसा कि इस साइट प्लान में दिखाया गया है जो यहां सम्यक रूप से पृष्ठांकित और संलग्न है, में पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

1. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र को जारी करते समय निम्नलिखित विशिष्टियों पर विचार किया गया है. अर्थात-

(क) पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण के लिए इन नियमों के अधीन परिसर का विकास करने के लिए भू-स्वामी या पट्टेदार से प्राधिकार सहित आवेदक द्वारा स्थल पर विधिमान्य कब्जा;
(ख) लोक, विशेष रूप से ऑफ साइट जैसी सुविधाओं, विद्यालयों, अस्पतालों या सार्वजनिक सभा के आसपास स्थित स्थलों और उपशमन उपाद, यदि कोई हो, प्रदान किए गए है;
(ग) यातायात घनत्व और यातायात पर प्रभाव;
(घ) स्थानीय या क्षेत्र विकास योजना के अनुरूप प्रस्ताव;
(ङ) आपातकालीन मामलों में आग लगने पर स्थल तक पहुंच और आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाओं की तैयार,
(च) उद्देश्य की वास्तविकता
(छ) सार्वजनिक सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य कोई मामला।
कार्यालय की मुहर सहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले जिला प्राधिकारी के हस्ताक्षर।
"टिप्पण- अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने पर विचार करने के लिए इसके जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकार करेगा";

यदि भविष्य में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत उपरोक्तानुसार वर्णित विभागों द्वारा कोई आपत्ति की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम रूल्स-2002 के नियम-150 के अन्तर्गत जिलाधिकारी /सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को नियम-144 के अधीन दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने की कार्यवाही आवेदक / लाइसेंसधारी को उचित सुनवाई का अवसर देते हुए सुनिश्चित की जाए। अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किए जाने की स्थिति में आवेदक /लाइसेंसधारी को दिया गया लाइसेस स्वतः निरस्त हो जाएगा।

(4) जिलाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदक के यूजर लॉगइन पर पी०डी०एफ० फार्म डाउनलोड हेतु उपलब्ध होगी। आवेदक जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

के आधार पर विस्फोटक लाइसेन्स प्राप्त कर अपने लॉगिन से अपलोड करेगा। आवेदक द्वारा विस्फोटक लाइसेन्स अपलोड करने के पश्चात् आवेदक का पूर्ण आवेदन अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ जिला पूर्ति अधिकारी लॉगिन पर अग्रसारित किया जाए । जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक, जिसके द्वारा लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है, उसके विरुद्ध पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत कोई विधिक/विभागीय कार्यवाही न की गयी हो। तदोपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी, रिटेल आउटलेट हेतु लाइसेन्स डिजिटल हस्ताक्षर कर ऑनलाइन ही निर्गत करेंगे, जो आवेदक के यूजर लॉगिन पर पी०डी०एफ० फार्म में डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगा, जिसका प्रारूप निम्नवत है :-

उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल ऑयल और लाइट डीजल ऑयल (संभरण बनाए रखना और वितरण आदेश-1981 यथासंशोधित के अधीन हाई स्पीड आयल / लाइट डीजल आयल हेतु लाइसेंस ।

लाइसेंस संख्या- Filled by DSO

1. लाइसेंसधारी का नाम और पिता का नाम व पता- As in Application

2. यदि लाइसेंसधारी कोई फ़र्म या नियमित कंपनी तो स्थापित समस्त भागीदारों के नाम और पता- As in Application

3. कारोबार के स्थान का ठीक-ठीक पता- As in Application

चौहद्दी – पूर्व- Filled by DSO

पश्चिम - Filled by DSO

उत्तर- Filled by DSO

दक्षिण- Filled by DSO

4. दिनांक जब तक लाइसेंस विधिमान्य है— Filled by DSO

यह लाइसेंस एतद्पश्चात दी गयी शर्तों के अधीन रहते हुए दिया गया है।

लाइसेंस प्राधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

जनपद का नाम -

(5) लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-421/91-2020 दिनांक 24.11.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 द्वारा पेट्रोल/डीजल रिटेल आउटलेट हेतु लाइसेंस दिए जाने हेतु 30 कार्यदिवस की सीमा निर्धारित की गयी है। लाइसेन्सिंग प्राधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि विस्फोटक लाइसेंस प्राप्त होने के पश्चात उपरोक्त समयावधि में आवेदक का लाइसेंस निर्गत कर दिया जाए। आवेदक अपने यूजर लॉगिन के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति (STATUS) को ट्रैक कर सकेगा; अर्थात आवेदक का आवेदन किस लॉगिन पर लम्बित है, की जानकारी ऑनलाइन देख सकेगा।

4- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले पेट्रोल/डीजल पम्प को ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें । पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-27/29-7-2023, दिनांक 30-01-2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

Digitally signed by RANVIR PRASAD
Date: 18-12-2025 18:37:28

भवदीय,
(रणवीर प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव,औद्योगिक विकास विभाग /राजस्व /गृह (पुलिस) विभाग /लोक निर्माण विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/नगर विकास विभाग / वन एवं पर्यावरण / तथा उर्जा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन ।

2- आयुक्त ,खाद्य एवं रसद , उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या -5044/आ०पू०रा०-पेट्रोल /डीजल पम्प/2024 , दिनांक -04-11-2025 के क्रम में ।

3- समस्त मंडलायुक्त ,उत्तर प्रदेश ।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी , इन्वेस्ट यू पी, लखनऊ ।

5- समस्त संयुक्त आयुक्त /उपायुक्त (खाद्य) उत्तर प्रदेश ।

6- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी , उत्तर प्रदेश I
7- गार्ड फाइल I

आज्ञा से,

Digitally signed by ATUL SINGH
Date: 19-12-2025 10:38:32

(अतुल सिंह)
विशेष सचिव I